न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट),कक्ष सं05,सहारनपुर।

विशेष वाद संख्या 28/2007

सरकार बनाम जाकिर

02.05.2025

पत्रावली पेश हुई। मु0अ0सं0 70/2006 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर के मामले में अभियुक्तगण मुनव्वर, आबिद उर्फ राशिद, जाकिर व इमरान के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त मुनव्वर व आबिद की पत्रावली निर्णीत तथा अभियुक्त इमरान की पत्रावली पृथक की जा चुकी है। अभियुक्त जाकिर की मृत्यु आख्या के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी पत्र पर उप निरीक्षक श्री शौकीन खान थाना कोतवाली देहात की आख्यानुसार अभियुक्त जाकिर पुत्र इस्लाम निवासी रसूलपुर पापडेकी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर की मृत्यु दिनांक 05.06.2024 को हो चुकी है। आख्या के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र की छायाप्रति तथा ग्राम पंचायत पापडेकी रसूलपुर के ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त रिपोर्ट को साबित करने हेतु साक्षी सी.डब्लू0–1 कॉन्सटेबल 830 अनिल कुमार, पैरोकार थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर को परीक्षित कराया गया। जिन्होने अपने बयान में कथन किया कि मूल आख्या उप निरीक्षक श्री शौकीन खान के लेख व हस्ताक्षर में है जो पत्रावली पर मौजूद है। अतः अभियुक्त जाकिर पुत्र इस्लाम निवासी रसूलपुर पापडेकी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर की मृत्यु के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली में अब कोई शेष कार्यवाही नही रह गयी है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचयित अभिलेखागार (फौजदारी) हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट),
कक्ष सं05,सहारनपुर।